फर्द अहकाम

सूरजदेवी बनाम जीवादेवी व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 63/2018 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	16/12/20	व. फ. उप०। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की। वकील प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से हिन्दी आकार श्या० मि० किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रजिस्टर हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0—63/19
उनवान—मन्जू देवी बनाम जीवा देवी वगै0
निर्णय दिनांकः—16.12.2020

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—63/2019

उनवान

मन्जू देवी पुत्री मंगला पत्नि धारा सिंह कुमावत, उम्र 36 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी परसा बाबा की ढ़ाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीया/वादीया

बनाम

1. जीवा देवी पुत्री मंगला, जाति कुमावत, निवासी नली वाली ढ़ाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :—16.12.2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की। वकील प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2020 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 648 रकबा 0.33 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम भूतेड़ा, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:46:59 IST
Reason: SelfAttested

1. जीवा देवी पुत्री मंगला, जा[illegible] में खसरा नम्बर 648/1 रकबा 0.1650 है0 कुल किता 1 [illegible] कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

2. मन्जू देवी पुत्री मंगला, जाति कुमावत सा0 निवाणा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 648 / 2 रकबा 0.1650 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

उनवान

मन्जू देवी पुत्री मंगला पत्नि धारा सिंह कुमावत, उम्र 36 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी परसा बाबा की ढ़ाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीया/वादीया

बनाम

1. जीवा देवी पुत्री मंगला, जाति कुमावत, निवासी नली वाली ढ़ाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:—63/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती निशा सहारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि खसरा नं0 648 रकबा 0.33 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम भूतेड़ा, पटवार हल्का भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2020 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः—

1. जीवा देवी पुत्री मंगला, जाति कुमावत सा0 निवाणा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 648/1 रकबा 0.1650 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।
2. मन्जू देवी पुत्री मंगला, जाति कुमावत सा0 निवाणा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 648/2 रकबा 0.1650 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:46:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मु0सं0–63/19
उनवान–मन्जू देवी बनाम जीवा देवी वगै0
निर्णय दिनांक:–16.12.2020

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.12.2020 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... सहायक कलेक्टर

ओहदा.......... चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner